

आदेश

विषय: भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत अनिवार्य हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु संस्थान के कर्मचारियों का नामांकन।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना के दिनांक 03.06.2019 के पत्र सं.13/1/2019/उ.नि.(टं./आ.)/1574-2274 के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में कार्यरत निम्नलिखित 09 कर्मचारियों को हिंदी टंकण का अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है:-

हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित कर्मचारीगण

1.	श्री चरण सिंह, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	शैक्षिक अनुभाग
2.	श्री प्रमोद कुमार, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	शैक्षिक अनुभाग
3.	श्री राहुल कुमार यादव, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	अनुसंधान अनुभाग
4.	श्री मनोज कुमार-II, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	ए.सी.आर. प्रकोष्ठ
5.	श्री अमित बलौदा, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	स्थापना अनुभाग (नि.का.)
6.	श्री आशीष पिवाल, कार्यालय परिचर	शैक्षिक अनुभाग
7.	श्री जसबीर सिंह, कार्यालय परिचर	भण्डार अनु. (हृद् तंत्रिका केन्द्र)
8.	श्री कुंदन राम, मसालची/बेयरर	कैफेटेरिया
9.	श्री विनय कुमार मोर्य, पशु परिचर	वृक्क विज्ञान विभाग

सत्र अगस्त, 2019 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की है। यह प्रशिक्षण कार्य दिवसों में (शनिवार को छोड़कर) ही दिया जाएगा और कक्षाएं कार्यालय समय में 01 घंटे प्रतिदिन होंगी। नियमित कक्षाएं 19 अगस्त, 2019 से आरम्भ होंगी।

इन सभी कर्मचारियों को आर.के. पुरम स्थित टंकण प्रशिक्षण केन्द्र तक सार्वजनिक वाहन द्वारा आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय होगा।

उपर्युक्त सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि में कक्षा में उपस्थित होना व उसकी समाप्ति पर परीक्षा में बैठना अनिवार्य है और कक्षा में गैर-हाजिरी को कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा। भारत सरकार के निदेशानुसार हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित उपर्युक्त कर्मचारियों के लिए कोई एवजी (सब्सिट्यूट) नहीं दिया जाएगा।

जारी-2/-

संबद्ध केन्द्र-प्रमुख/विभाग/अनुभाग-अध्यक्षगण से यह भी अनुरोध है कि कृपया हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु नामित कर्मचारीगण को प्रशिक्षण कक्षाओं में जाने के लिए छोड़ने से इनकार न किया जाए।

अतः सम्बद्ध कर्मचारियों को, एतद्वारा, निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 13.08.2019 को प्रातः 10.00 बजे हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश पाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के सहायक निदेशक से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:-

प्रशिक्षण स्थल का पता:

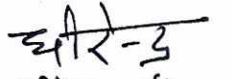
सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)

हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र

कमरा नं. 106, लेवल-1, पूर्वी खण्ड-II

आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.

सम्बद्ध कर्मचारीगण को यह भी निदेश दिया जाता है कि वे उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकन प्राप्त करने हेतु हिंदी अनुभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करें और प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्राप्त करने के तुरन्त बाद इस आशय की सूचना हिंदी अनुभाग को दें ताकि आगे की आवश्यक कार्यवाई की जा सके।


(धीरेन्द्र वर्मा)

उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी

वितरण: सभी सम्बद्ध कर्मचारीगण।

द्वारा: संबंधित विभाग/अनुभाग/केन्द्र।

प्रतिलिपि:

- निदेशक/ संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/ अनुसंधान/ परीक्षा)/ चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक(प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- विभागाध्यक्ष, वृक्क विज्ञान विभाग।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, हृद् तंत्रिका केन्द्र।
- प्रशासन अधिकारी (नि.का.)/ भर्ती प्रकोष्ठ/ जे.पी.एन.ए.ट्रॉमा केन्द्र/ शैक्षिक अनुभाग/ ए.सी.आर. प्रकोष्ठ/अनुसंधान अनुभाग।
- महाप्रबंधक, कैफेटेरिया।
- संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-6, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.
- सम्बद्ध कर्मचारीगण की वैयक्तिक मिसिल।
- ✓ - उप-निदेशक, कंप्यूटर सुविधा : इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

श्री संजय गुप्ता

श्री सतीश कुमार

25/8/19

22/4/19